(77)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3542–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–11–2014 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला रतलाम, प्रकरण कमांक 3/स्वमेव निगरानी/2014–15.

.....

लिमजी पिता किकला गरवाल भील,
निवासी ग्राम घटालिया तहसील रावटी,
जिला रतलाम ..... आवेदक

विरूद्ध

1–सोहनलाल पिता माना गरवाल भील,
2–नाथु पिता राजु निनामा भील
3–सुखलाल पिता गलिया मचार भील
4–ईश्वरलाल पिता केशाजी गरवाल भील
5–प्रभु पिता रामचन्द्र मचार भील
निवासीग्राम घटालिया तहसील रावटी जिला रतलाम

.....अनावेदकगण

श्री शैलेन्द्र व्यास, अभिभाषक– आवेदक

श्री ए0आर0यादव, अभिभाषक– अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 10/10/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला रतलाम द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–11–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष नक्शा दुरूस्ती हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया ।

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 150/बी–121/06–07 दर्ज कर दिनांक 30–12–06 को आदेश पारित कर नक्शा दुरूस्ती के आदेश दिये गये हैं । अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश में हुई अनियमितता कलेक्टर के संज्ञान में आने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 17–11–14 को अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कलेक्टर के इसी आदेश एवं कार्यवाही के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान प्रकरण में कलेक्टर को स्वप्रेरणा से निगरानी के अधिकार नहीं होकर राजस्व मण्डल को प्राप्त है अतः कलेक्टर द्वारा पारित आदेश व कार्यवाही क्षेत्राधिकार रहित है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नम्बर 77 रकबा 1.700 हेक्टेयर के संबंध में व्यवहार न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेद्याज्ञा जारी की गई है जो कि अधीनस्थ न्यायालय पर बंधनकारी है । इसके बावजूद कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की गई है, जबकि व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 30–12–06 के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है । इस आधार पर कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अपीलीय आदेश है जिसे कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी में लेने में विधि की गंभीर भूल की गई है उनके द्वारा कलेक्टर का आदेश व उनके द्वारा की जा रही कार्यवाही निरस्त की जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा शासकीय भूमि को नक्शा दुरूस्ती में सम्मिलित करने में अवैधानिकता की गई थी, अतः कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय

अधिकारी के आदेश को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा अभी प्रकरण केवल स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर कार्यवाही की जा रही है जहॉ आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और वे अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की वैधानिकता को प्रमाणित कर सकते हैं ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रकरण में अभी कलेक्टर न्यायालय द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है, कोई आदेश पारित नहीं किया गया है । साथ ही नक्शा सुधार संहिता की धारा 107 की विषयवस्तु होने से जिला कलेक्टर के क्षेत्राधिकार में है । अतः कलेक्टर द्वारा की जा रही कार्यवाही हस्तक्षेप योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में कलेक्टर द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला रतलाम द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17–11–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर